**राष्ट्रीय महिला कोष के कार्यालय में परामर्शदाता (राजभाषा) के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता एवं शर्तें**

पद : परार्मशदाता (राजभाषा) (एक)

1. **कार्य**

संसद प्रश्नों, वार्षिक रिपोर्टों तथा वार्षिक लेखाओं का अनुवाद, महिला ई-हाट पोर्टल के उत्पादों/विक्रेताओं आदि के ब्यौरों तथा अन्य संबंधित सामग्रियों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद।

2. पात्रता के मापदंड

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की कार्य- प्रणाली की अच्छी जानकारी होनी चाहिए । केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से सहायक निदेशक (हिंदी)/वरिष्ठ हिंदी अनुवादक/कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद से सेवा निवृत्त तथा उपर्युक्त क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी । कम्प्यूटर की जानकारी होनी आवश्यक है ।

3. नियुक्ति की अवधि एवं प्रकृति

चयनित उम्मीदवार को शुरू में एक साल के लिए पूर्णत: संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा । कार्य निष्पादन तथा आवश्यकता के आधार पर इस अवधि को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा ।

4. आयु-सीमा

उम्मीदवार की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

5. संप्रेषण एवं प्रारुपण कौशल

अंग्रेजी से हिंदी तथा विलोमत: अनुवाद कार्य करने की गहरी क्षमता होने के साथ- साथ अच्छा संप्रेषण एवं व्यवहार् कुशलता होनी चाहिए ।

6. आवास

परामर्शदाता को अपना आवास दिल्ली/नई दिल्ली/एनसीआर में रखना होगा । आरएमके द्वारा आवास अथवा मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

7. पारिश्रमिक तथा भुगतान की शर्तें

मासिक आधार पर 45,000/-रुपये (पैंतालिस हजार रुपये मात्र) के समेकित शुल्क का भुगतान किया जाएगा ।

8. वाहन भत्ता

परामर्शदाता वाहन भत्ता सहित मासिक भत्तों के लिए हकदार नहीं होगा । तथापि, यदि कार्य/आबंटन के सिलसिले में परामर्शदाता से दिल्ली के बाहर यात्रा करने की जरूरत होगी तो आरएमके केंद्र सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करेगा ।

9. स्रोत पर कर कटौती

प्रचलित नियमों के अनुसार आयकर या कोई अन्य कर जो काटा जाना है, भुगतान को प्रभावी करने से पूर्व स्रोत कर काटा जाएगा जिसके लिए आरएमके टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करेगा । प्रचलित दर से यथा लागू सेवा कर का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा ।

10. डाटा एवं दस्तावेज़ों की गोपनीयता

संग्रहित डाटा तथा विभाग के लिए उत्पन्न प्रदेयताओं का बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) विभाग के पास होगा । कोई भी आरएमके की लिखित रूप में स्पष्ट सहमति के बगैर आरएमके से आबंटन के दौरान या इस आबंटन के प्रयोजन के लिए संग्रहित डाटा या सांख्यिकी या कार्यवाही या सूचना के किसी भाग का उपयोग या प्रकाशन या किसी तीसरे पक्षकार को प्रकटन नहीं करेगा । परामर्शदाता संविदा की समाप्ति से पूर्व तथा आरएमके द्वारा अंतिम भुगतान जारी होने से पूर्व आरएमके को आबंटन के रिकार्डों का संपूर्ण सैट सौंपने के लिए बाध्य होगा ।

11. हित का टकराव

आरएमके द्वारा नियुक्त परामर्शदाता किसी भी स्थिति में ऐसे किसी मामले में जो विभाग के हित के प्रतिकूल है, दूसरों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा अथवा उनको राय या सलाह नहीं देगा ।

12. आरएमके निम्नानुसार अधिकार सुरक्षित रखता है :

किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण दिए बगैर इस विज्ञापन को निरस्त करने और किसी स्तर पर इस मामले को आगे न बढ़ाने अथवा किसी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेना ।

13. करार की समाप्ति

आरएमके इस संविदा को समाप्त कर सकता है यदि :

- परामर्शदाता आबंटित कार्य को निष्पादित करने में असमर्थ है ।
- आबंटित कार्य की गुणवत्ता आरएमके की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है ।

- परामर्शदाता आरएमके द्वारा अंततः यथानिर्धारित  समय-सीमा के भीतर कार्य करने में असमर्थ रहता है ।
- यह पाया जाता है कि परामर्शदाता में ईमानदारी और निष्ठा का अभाव है ।
- आरएमके परामर्शदाता को 15 दिन का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

परामर्शदाता को लिखित रूप में नोटिस देने पर संविदा समाप्ति प्रभावी होगी तथा ऐसे नोटिस दिए जाने के 15 दिन तक यह प्रभावी होगा । इस संविदा समाप्ति का समाप्ति से पूर्व प्रोद्भूत किसी पक्षकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

14. अभिशासित कानून

संविदा भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसरण में अभिशासित होगी ।

15. आवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश

निर्धारित प्रारुप में विधिवत रूप से भरे गए आवेदन को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि यह 30.06.2016 को अपराह्न 5.30 बजे तक या इससे पूर्व आरएमके में पहुंच जाए । यदि आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि को अवकाश के रूप में घोषित किया जाता है तो आरएमके के अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय तक आवेदन प्राप्त किया जाएगा । ऊपर उल्लिखित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उसे वापस किया जा सकता है ।

16. अन्य निबंधन एवं शर्तें

I. भत्ते - परामर्शदाता डीए, सीसीए, एचआरए, सीजीएचएस, चिकित्सा प्रतिपूर्ति या किसी अन्य राहत आदि जैसे किसी भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा ।
II. टीए/डीए - परामर्शदाता को सरकारी दौरे पर होने के दौरान भारत सरकार के समान स्तर के किसी सेवारत अधिकारी पर लागू सामान्य नियमों के अनुसार टीए/डीए आहरित करने की अनुमति हो सकती है ।
III. मुख्यालय - यध्यपि परामर्शदाता का मुख्यालय दिल्ली में होगा, किंतु उससे भारत में कहीं भी सेवाएं ली जा सकती हैं ।
IV. टेलीफोन - परामर्शदाता टेलीफोन की सुविधा के लिए हकदार नहीं होगा ।
V. निजी सहायक स्टाफ - परामर्शदाता निजी सहायक स्टाफ के लिए हकदार नहीं होगा ।
VI. परिवहन - परामर्शदाता परिवहन सुविधा के लिए हकदार नहीं होगा ।
VII. स्टाफ कार - परामर्शदाता निजी प्रयोजन के लिए तथा आवास एवं कार्यस्थल के बीच की यात्रा करने के लिए भी स्टाफ कार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा ।

VIII. छुट्टी - परामर्शदाता यथानुपात आधार पर कलैंडर वर्ष में 12 दिन की छुट्टी के लिए पात्र होगा । अत: परामर्शदाता वर्ष में 12 दिन से अधिक अनुपस्थिति के मामले में किसी पारिश्रमिक का आहरण नहीं करेगा (इसकी गणना यथानुपात आधार पर की जाएगी) । इसके अलावा, वर्ष में न ली गई छुट्टी को अगले कलैंडर वर्ष में अग्रेनीत नहीं किया जा सकता है ।

IX. ड्यूटी एवं कार्य - परामर्शदाता से आरएमके द्वारा यथा आबंटित कार्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा होगी।

**परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन का प्रारुप**

1. नाम :

2. पिता का नाम :

3. वर्तमान/आवासीय पता :

4. जन्मतिथि : तिथि /माह/वर्ष

5. टेलीफोन नम्बर के साथ ई-मेल पता :

6. सरकारी सेवा में आने की तिथि :

7. सेवानिवृत्ति की तिथि :

8. शैक्षिक अर्हताएं :

9. किए गए कार्य की प्रकृति के साथ सेवा का संक्षिप्त विवरण (आखिरी नियुक्ति से आरंभ करें)

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | अवधि (माह/वर्ष) | | धारित पद | कार्य की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**10. कम्प्यूटर की जानकारी**

| | |
|---|---|
| एमएस वर्ड | |
| एमएस एक्सैल | |
| पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण | |

**11. पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त सूचना , यदि कोई हो**

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन करने की तारीख को मेरे विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है और ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास से बिल्कुल सही है । समर्थन दस्तावेज मांग पर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे ।

भवदीय,

हस्ताक्षर : .................................

पूरा नाम : .................................

स्थान : ................

तारीख : ................